क्रम-संख्या–116

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
(माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–9)

संख्या 720/पन्द्रह-9–2023-25(35)-2004 टी0सी0
लखनऊ, 30 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–25

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9.04 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2012 (जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 9.04 के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
9.04 : (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और उसे सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलना विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। आवेदन–पत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रू0 5,000.00 (पाँच हजार रूपये) विलम्ब शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।	9.04 : (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और उसे सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलना विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के क्रार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। आवेदन–पत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रू0 5,000.00 (पाँच हजार रूपये) विलम्ब शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड), व्यावहारिक वास्तुशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम् की मान्यता अलग–अलग दी जायेगी। मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन विहित प्रपत्र पर किया जाएगा, जो सम्यक रूप से भरा जाएगा तथा जिस पर सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो 02 अलग–अलग सेमेस्टर में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथासम्भव स्ववित्त पोषित आधार पर चलाया जाएगा।
(ख) मान्यता के लिए आवेदन–पत्र बोर्ड के सचिव द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन करने के प्रमाण के रूप में शुल्क के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है :–	(ख) परिषद के सचिव द्वारा मान्यता के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट शुल्क के साथ आवेदन दाखिल करने के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज न संलग्न हो :–
(i) पहली बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा –रुपये 10,000.00	(एक) पहली बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के लिए रुपये 10,000.00 एवं प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रुपये 5,000.00 ।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(ii) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषय मान्यता के लिए–रुपये 2500.00	(दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक अतिरिक्त विषय की मान्यता के लिए–रुपये 2500.00
(ग) किसी भी रूप में अपूर्ण प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।	(ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.08 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.08 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.08 : प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा को अलग–अलग मान्यता दी जाएगी।	10.08 : प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता अलग–अलग दी जाएगी।

4–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.09 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.09 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.09 : परिषद निम्नलिखित परीक्षा आयोजित करेगा :–	10.09 : परिषद निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगी :–
(क) प्रथमा	(क) निकाल दिया गया
(ख) पूर्व मध्यमा	(ख) पूर्व मध्यमा
(ग) उत्तर मध्यमा	(ग) उत्तर मध्यमा
	(घ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :–
	(एक) पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड)
	(दो) व्यावहारिक वास्तुशास्त्र
	(तीन) व्यावहारिक ज्योतिष
	(चार) योग विज्ञान

5–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.10 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.10 : परिषद की परीक्षाएं परिषद द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जायेंगी।	10.10 : परिषद की पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं परिषद द्वारा विनिश्चित तिथियों, समयों और स्थानों पर आयोजित की जायेंगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(ii) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषय मान्यता के लिए–रुपये 2500.00	(दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक अतिरिक्त विषय की मान्यता के लिए–रुपये 2500.00
(ग) किसी भी रूप में अपूर्ण प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।	(ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.08 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.08 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.08 : प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा को अलग–अलग मान्यता दी जाएगी।	10.08 : प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता अलग–अलग दी जाएगी।

4–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.09 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.09 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.09 : परिषद निम्नलिखित परीक्षा आयोजित करेगा :–	10.09 : परिषद निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगी :–
(क) प्रथमा	(क) निकाल दिया गया
(ख) पूर्व मध्यमा	(ख) पूर्व मध्यमा
(ग) उत्तर मध्यमा	(ग) उत्तर मध्यमा
	(घ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :–
	(एक) पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड)
	(दो) व्यावहारिक वास्तुशास्त्र
	(तीन) व्यावहारिक ज्योतिष
	(चार) योग विज्ञान

5–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विनियम 10.10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.10 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.10 : परिषद की परीक्षाएं परिषद द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जायेंगी।	10.10 : परिषद की पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं परिषद द्वारा विनिश्चित तिथियों, समयों और स्थानों पर आयोजित की जायेंगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

(क) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता केवल उन संस्थानों को दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विनियमावली, 2012 में अन्तर्विष्ट मान्यता के मानदण्डों को पूरा करती हैं;

(ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरी तरह से स्व–वित्तपोषण के आधार पर संचालित किए जाएंगे। मान्यता चाहने वाले संस्थानों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा यथाविनिश्चित अर्ह अध्यापक होने चाहिए;

(ग) डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा पौरोहित्यम (कर्मकाण्ड), व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानं की अलग–अलग मान्यता दी जायेगी;

(घ) स्व–वित्तपोषित आधार पर क्रियान्वित डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई माह में एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी माह में प्रारम्भ होगा;

(ङ) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं विद्यालय के नियमित अनुसूची के अनुसार संचालित की जाएंगी;

(च) प्रत्येक सेमेस्टर की शिक्षण अवधि परीक्षा सहित छः माह की होगी;

(छ) इंटर्नशिप–

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु दो सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के अन्तिम माह में दो सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा जिसमें उस सेमेस्टर की विषयवस्तु के प्रैक्टिकल चैप्टर सीखे जाएंगे। किसी अनुभवी संस्थान में सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।

इंटर्नशिप में किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार होंगे :–

(क) अनुभवी अध्यापकों द्वारा किए गए कार्यों का संप्रेक्षण;

(ख) इंटर्नशिप में सीखे गये कार्यों का दस्तावेजीकरण;

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	(ग) अनुभवी अध्यापकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में व्यवहारिक अनुभव। इंटर्नशिप में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन विद्यालय द्वारा किया जाएगा, जो परीक्षा परिणाम का अंग होगा।

6–उक्त विनियमावली में विनियम 10.15 के खण्ड 5 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :– विनियम 10.15 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.15 – (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलम्बतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नियत शुक्ल प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र भरेंगे।	10.15 – (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र किसी वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलम्बतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नियत शुक्ल प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र भरेंगे।
नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।	नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।
संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता–पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात् अनुज्ञा न दे दी हो।	संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबाके जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता–पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात् अनुज्ञा न दे दी हो।
(2) संस्था का प्रधान आवेदन–पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन–पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू0 20/– प्रति आवेदन–पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा।	(2) संस्था का प्रधान आवेदन–पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन–पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू0 20/– प्रति आवेदन–पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र बोर्ड के सचिव को भिजवायेंगे।	(3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र परिषद के सचिव को प्रेषित करेगा।
(4) परिषद का सचिव आवेदन–पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।	(4) परिषद का सचिव आवेदन–पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।
(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेंगा :–	(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेंगा :–
(क) यह प्रमाण–पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है;	(क) यह प्रमाण–पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है;
(ख) यह प्रमाण–पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है;	(ख) यह प्रमाण–पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है;
(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है;	(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है;
(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(घ) वे छात्र, जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
	(6) 1–उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। 2–इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। 3–किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत उम्मीदवार इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
(3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र बोर्ड के सचिव को भिजवायेंगे।	(3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र परिषद के सचिव को प्रेषित करेगा।
(4) परिषद का सचिव आवेदन–पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।	(4) परिषद का सचिव आवेदन–पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।
(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेंगा :–	(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेंगा :–
(क) यह प्रमाण–पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है;	(क) यह प्रमाण–पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है;
(ख) यह प्रमाण–पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है;	(ख) यह प्रमाण–पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है;
(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है;	(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है;
(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(घ) वे छात्र, जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
	(6) 1–उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे।
	2–इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
	3–किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत उम्मीदवार इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	4–इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
	5–एक बार में केवल एक ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति होगी।
	6–परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा फार्म प्रथम सेमेस्टर के लिए बिना विलम्ब शुल्क के 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर के लिए 31 मार्च तक जमा करना होगा।
	7–संस्था का प्रमुख, परीक्षा आवेदनों को परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के साथ परिषद को अग्रेषित करेंगे। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात् प्रति आवेदन रू0 20/– की दर से विलम्ब शुल्क भी देना होगा।
	8–विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी भी संस्था में आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् संस्थान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	9–प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	10–संस्था प्रधान परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र परिषद के सचिव को निर्धारित प्रपत्र में निम्न प्रमाण–पत्रों के साथ प्रेषित करेगा :–
	(1) उत्तर मध्यमा (कक्षा 12) या समकक्ष प्रमाण–पत्र।
	(2) परिषद के नियमों के अनुसार प्रदान किया गया प्रवेश।
	(3) अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

विनियम 10.16 का संशोधन

7–उक्त विनियमावली में विनियम 10.16 के खण्ड 12 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

10.16–(13) 1–परीक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों के दिनों सहित प्रत्येक सेमेस्टर में 120 कार्य दिवसों में संस्था खुली रहेगी।

2–डिप्लोमा पाठ्यक्रम के किसी छात्र को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 75% व्याख्यान में भाग नहीं लिया हो।

3–व्याख्यानों की गणना के प्रयोजन से व्याख्यानों का तात्पर्य संस्था की समय–सारणी में नियोजित अध्यापन/कार्यात्मक अवधि से है।

विनियम 10.26 का संशोधन

8–उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 10.26 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.26–परिषद द्वारा संचालित प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी।	10.26–(एक) परिषद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी। (दो) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समकक्षता भारत में किसी परिषद या संस्था के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के समकक्ष होगी।

विनियम 10.31 का संशोधन

9–उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 10.31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.31–(क) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति तथा परिषद की कार्यकारिणी समिति के अवधारण पर परीक्षार्थियों से निम्नलिखित शुल्क लिये जायेंगे :– (1) प्रथमा परीक्षा के लिए शुल्क। (2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क। (3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क। (4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने के लिये शुल्क। (5) संनिरीक्षा शुल्क। (6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	10.31–(क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति एवं परिषद की कार्यकारिणी समिति की सहमति से परीक्षार्थियों से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा :– (1) निकाल दिया गया। (2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क। (3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क। (4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने के लिये शुल्क। (5) संनिरीक्षा शुल्क। (6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(7) विलम्ब से भुगतान शुल्क।	(7) विलम्ब से भुगतान शुल्क।
(8) प्रवेश–पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	(8) प्रवेश–पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(9) प्रमाण–पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।	(9) प्रमाण–पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।
(10) प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	(10) प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(11) प्रवजन प्रमाण–पत्र शुल्क।	(11) प्रवजन प्रमाण–पत्र शुल्क।
(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति शुल्क।	(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(13) व्यक्तिगत आवेदन–पत्र अग्रसारण शुल्क।	(13) व्यक्तिगत आवेदन–पत्र अग्रसारण शुल्क।
(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन–पत्र।	(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन–पत्र।
	(15) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क।
	प्रवेश के लिए अर्हता :–
	1–उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे।
	2–इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
	3–किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत अभ्यर्थी इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
	4–परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर में 31 मार्च तक जमा करना होगा।
	5–संस्था प्रधान, बैंक ड्राफ्ट के रूप में परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा आवेदन–पत्र परिषद को प्रेषित करेगा। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात् प्रति आवेदन की दर से रू0 20/– विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
	6–विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी संस्था में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् संस्था बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	7–प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	8–संस्था प्रमुख परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र परिषद के सचिव को विहित प्रपत्र में निम्न प्रमाण–पत्रों के साथ प्रेषित करेगा :–
	(क) प्रमाण–पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद के नियमानुसार हुआ है;
	(ख) इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सम्बन्धित छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।
	उपस्थिति –
	1–न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। संस्था का प्रमुख उपस्थिति में कमी के लिए निम्नलिखित तरीकों से क्षमा कर सकता है :–
	(क) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों के लिए पाँच दिन;
	(ख) संस्कृत शिक्षा परिषद की अनुमति से 10 दिनों की अनुपस्थिति दी जा सकती है।
	अवकाश –
	प्रत्येक शिक्षार्थी को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार अवकाश दिया जा सकता है :–
	1–प्रत्येक सेमेस्टर में 05 दिन का आकस्मिक अवकाश।
	2–दोनों सत्रों में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
	अवकाश के लिए आवेदन प्रधानाचार्य को कक्षा अध्यापक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। अवकाश का रिकॉर्ड प्रधानाचार्य रखेगा। **पुनः प्रवेश –** 1–यदि छात्र लगातार 10 दिनों तक बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि वह पत्र में दी गई तिथि तक विद्यालय नहीं आता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा। 2–सामान्यतः पुनः प्रवेश के लिए कोई उपबन्ध नहीं होगा। 3–यदि उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे अनुवर्ती सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किन्तु अगले बैच के प्रथम सेमेस्टर में पुनः प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। पुनः प्रवेश के मामले में, उस सेमेस्टर के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। **परीक्षा –** (क) एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए दो परीक्षाएं हांगी। शैक्षणिक सत्र का पहला सेमेस्टर जुलाई से प्रारम्भ होगा, इसकी परीक्षाएं दिसम्बर में होंगी। द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से प्रारम्भ होगा और जून में परीक्षा होगी; (ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा; (ग) प्रत्येक सेमेस्टर में 100 अंकों के चार प्रश्न पत्र होंगें। प्रत्येक सेमेस्टर में 100 अंकों के इंटर्नशिप के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन होगा। अन्य परिषद की परीक्षाओं की तरह डिवीजन दिए जाएंगे। किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर दोनों सेमेस्टर में अलग–अलग 10 अंक का ग्रेस मार्क भी देय होगा; (घ) परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश–पत्र परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, जिसे सम्बन्धित विद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि किसी कारण से छात्र द्वारा दूसरा प्रवेश–पत्र मांगा जाता है, तो रु0 50/– का शुल्क लेकर दूसरा प्रवेश–पत्र जारी किया जाएगा;

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	(ङ) यदि परीक्षा के समय छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और एक वर्ष तक पुनः परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। द्वितीय सत्र की सम्पूर्ण या आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये तीन से अनधिक अवसर प्रदान किये जाएंगे। रुपया 500/– का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में शपथ–पत्र एवं राज्य के सर्वाधिक प्रसारित समाचार–पत्र में विज्ञापन की प्रति के माध्यम से किया जायेगा। **संनिरीक्षा –** 1–संस्कृत शिक्षा परिषद की अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी संनिरीक्षा की व्यवस्था होगी। 2–रुपये 50/– प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा। 3–एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही प्रथम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देनी होगी। द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को अगले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार अवसर तीन से अधिक होगा। **पाठ्यक्रम शुल्क –** डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क रु0 5,000/– प्रति सेमेस्टर होगा, जिसमें से रु0 600/– प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा शुल्क के रूप में परीक्षा फार्म के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ को प्रेषित करना होगा। शेष राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा अध्यापन और अध्यापक उपबन्ध के लिये किया जा सकता है।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान विनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक –
	1–सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक की व्यवस्था प्रबन्धक द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी। जिसे सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जएगा।
	2–उस अर्हता का अध्यापक अध्यापन के लिए पात्र होगा, जिसके पास उत्तर माध्यमा अध्यापन की अर्हता हो।
	3–पूर्णतः स्ववित्तपोषित योजना के अधीन अध्यापकों की व्यवस्था, प्रबन्धन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।
	उपरोक्त पाठ्यक्रमों की मान्यता पूर्णतः वित्तविहीन रूप में दी जायेगी। इस हेतु विभाग/शासन स्तर पर कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 720 /XV-9–2023-25(35)-2004 T.C., dated June 30, 2023:

No. 720 /XV-9–2023-25(35)-2004 T.C.
Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000), *read* of section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 2 of 1904), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education after obtaining the previous approval of the State Government, is pleased to make the following regulation with a view to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (the constitution, power and duties of Committes and Sub-Committees) Regulations, 2012 are hereby published as required under sub-section (1) of Section 22 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION (CONSTITUTION, POWERS AND DUTIES OF COMMITTEES AND SUB-COMMITTEES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.